राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
43/2023	16.08.2023	09.03.2024

उनवान

1. मुरारीसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कांकर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128, 129 एल0आर0एक्ट0।

उपस्थित:–

1. श्री वीरसिंह यादव अधिवक्ता – प्रार्थी ।

–::निर्णय::–

दिनांक :– 09.03.2024

आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना पर लोक अदालत की भावना से सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि आराजी ख.नं. 243/0.01, 249/0.05, 258/1725/0.06, 1708/243/0.12, 1709/243/0.02 हैक्टेयर वाके ग्राम कांकर तह0 नीमराना मे स्थित हो कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी होकर पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश कर सीमाज्ञान दिनांक 04.08.2023 को की गई जिसकी रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर पुख्ता पत्थरगढी करवाने के लिए तहसीलदार साहब नीमराना से मिले तो न्यायालय श्रीमान के आदेश लेकर आने को कहा अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजीयात की मुताबिक रिपोर्ट सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 04.08.2023 के पुख्ता पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आए एंव जवाब प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नही है का कथन किया।

वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सीमाज्ञान पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 के मुताबिक पुख्ता पत्थरगढी करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई व पत्रावली तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को लोक अदालत की भावना से कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे प्रस्तुत होने की स्थिति मे उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थी के आराजी ख.नं. हाल 243/0.01, 249/0.05, 258/1725/0.06, 1708/243/0.12, 1709/243/0.02 हैक्टेयर वाके ग्राम कांकर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–वहरोड की मुताबिक रिपोर्ट सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 04.08.2023 के पुख्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु उक्त निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार,नीमराना को पालनार्थ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमेआम कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे सुनाया गया।

9.3.2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)